सीकर एवं झुन्झुनू जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0,

नेशनल हाइवे न. 11, जयपुर रोड़, पलसाना – जिला सीकर (राज.)

(तकनीकी–भाग अ)

संघ के मेन गेट परिसर में स्थापित पार्लर का संचालन

क्रमांक :– सीदुसं/2376–84 दिनांक 24.9.2021

नवीन फोटो

निविदादाता द्वारा भरी जाने वाली सूचना/विवरण

फार्म जमा करने की दिनांक (दोपहर 03 बजे तक)	निविदा खोलने की दिनांक (दोपहर 03.30 बजे तक)
29.09.21 से 14.10.21	18.10.2021

1. निविदादाता व्यक्ति/फर्म का नाम : ————————————————————

2. मालिक/साझेदार का नाम : ——————————————————————

3. पता मय टेलीफोन नम्बर : ——————————————————————

4. पेनकार्ड नम्बर : ——————————————————————————

5. जीएसटी नम्बर : ——————————————————————————

6. अनुभव (यदि हो तो) : ————————————————————————

7. अर्नेस्ट मनी जमा का विवरण :–

डी.डी.सं. ———————— दिनांक ————————— रू ——

8. फार्म शुल्क का विवरण :–

डी.डी.सं. ———————— दिनांक ————————— रू ——

निविदादाता के हस्ताक्षर

सीकर एवं झुन्झुनू जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, पलसाना (सीकर)
पार्लर संचालन हेतु निविदा शर्ते

1. निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र/प्रोफार्मा में ही दर प्रस्तूत करनी होगी। दरें साफ–साफ भरनी होगी।
2. निविदादाता https://sppp.rajasthan.gov.in/ & http://www.sarasmilkfed.rajasthan.gov.in वेबसाईट से डाउनलोड करके प्रस्तुत कर सकता है।
3. निविदादाता को भाग अ व भाग ब को अलग–अलग लिफाफो में प्रस्तुत करना होगा।
4. भाग अ सही पाये जाने पर भाग ब खोला जायेगा।
5. निविदा में कांट छांट होने पर कमेटी द्वारा निविदा निरस्त की जा सकती है।
6. निविदाकर्ता को जी.एस.टी. नंबर या टीन नम्बर निविदा सफल होने के पश्चात प्रस्तुत करने होंगे एवं फूड लाइसेन्स भी लेना होगा।
7. फार्म शुल्क 500/– रू व अमानत राशि 10000/– रू0 होगी।
8. टेण्डर फार्म के साथ अमानत राशि व फार्म शुल्क राशि का ड्राफ्ट द्वारा सीकर एवं झुन्झुनू जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 पलसाना के नाम जमा करवाना अनिवार्य है। बिना अमानत राशि व फार्म शुल्क के निविदा निरस्त मानी जावेगी।
9. सफल निविदाकर्ता को प्रतिभूति ड्राफ्ट द्वारा सीकर एवं झुन्झुनू जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, पलसाना के नाम जमा करवानी होगी। अमानत राशि को प्रतिभूत राशि में सम्मिलित कर लिया जावेगा। इस राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा।
10. यदि निविदाकर्ता की पूर्व में कोई राशि इस कार्यालय में जमा है तो ऐसी राशि को इस टेण्डर में अमानत/धरोहर राशि के एवज में समायोजन नहीं किया जावेगा।
11. पार्लर किराया रू. प्रति माह की 5 तारीख तक एड्वांस जमा कराना होगा।
12. सफल निविदादाता को धरोहर राशि रू. 30000/– जमा करवानी होगी। जिस पर कोई ब्याज देय नही होगा।
13. आपकी जमा अमानत राशि 10,000 रू. को धरोहर राशि में परिवर्तित किया जाता हैं शेष धरोहर राशि 20,000 रू. आप पत्र जारी होने के सात दिवस में जमा करायें।
14. आप सात दिवस में 100/– के नॉनजुडिशल स्टाम्प पेपर अनुबन्ध संघ के प्रारूप अनुसार प्रस्तुत करेंगें
15. आपको डेयरी उत्पाद की अग्रिम राशि जमा कराने पर पार्लर दर पर दिये जायेगे जिन्हे MRP दर पर बिक्री करना होगा।
16. पार्लर हेतु आपको दो डी.फ्रिज एक चेस्ट कूलर लगाना होगा इसके बाद यदि बिक्री बढ़ती है तो अतिरिक्त फ्रिज आदि भी लगानें होंगे।
17. विधुत उपभोग सबमीटर के आधार पर AVVNL दर से प्रतिमाह संघ में जमा कराना होगा।
18 पार्लर पर विज्ञापन सामग्री (ग्लो साईन बोर्ड आदि) संघ द्वारा लगाये जायेगें।
19. पार्लर की सम्पूर्ण साफ सफाई शौचालय आदि सहित आप द्वारा कराई जायेगी।
20. जल आपूर्ति संघ द्वारा निशुल्क की जाएगी।

21. पार्लर परिसर की सम्पूर्ण सूरक्षा की जिम्मेदारी अनुबंधक की होगी।
22. पार्लर कक्ष में पार्लर संचालक व उसके कर्मचारी के अतिरिक्त अन्य कोई सदस्य प्रविष्ट नहीं होगा।
23. प्रारम्भ में संघ द्वारा पार्क विकसित कराया जायेगा, जिसका रख–रखाव आपको करना है।
24. पार्लर संचालन का समय प्रातः 6.00 से रात्रि 10.00 बजे तक खुलना अनिवार्य होगा।
25. पार्लर में सरस दुग्ध व दुग्ध उत्पाद ही रखे जायेगें तथा अन्य कोई उत्पाद संघ की अनुमति के पश्चात ही रखे जा सकेगें।
26. सभी उत्पाद का समुचित स्टॉक रखना होगा।
27. पार्लर पर कार्यरत कर्मचारियों को निर्धारित यूनिफार्म में कार्य करना होगा।
28. प्रभारी विपणन / संघ के प्रतिनिधि द्वारा पार्लर का निरिक्षण किया जा सकेगा।
29. पार्लर हेतु आवश्यक फर्नीचर यथा कुर्सी टेबल आदि अनुबन्धक द्वारा रखने होगें।
30. कार्यादेश जारी किये जाने के सात दिवस में पार्लर संचालन प्रारम्भ करना होगा नही करने पर सुरक्षा राशि जब्त कर ली जायेगी।
31. पार्लर के उपकरण चालू हालत में दिये जायेंगे जिन्हें अनुबन्ध अवधि पश्चात इसी तरह हस्तांतरित करने होंगे।
32. पार्लर का सफल संचालन प्रभारी विपणन सुनिश्चित करेंगें।
33. निविदाकर्ता द्वारा निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने आवश्यक होंगे एवं फर्म की सील से पृष्ठाकिंत कराना आवश्यक होगा, जो कि निविदा की प्रत्येक शर्ते को स्वीकारोक्ति माना जावेगा। हस्ताक्षर नहीं करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।
34. इस कार्यालय द्वारा सफलतम निविदाकर्ता / निविदाकर्ताओं के पक्ष में अनुमोदन पत्र जारी करने पर इस पत्र को निविदाकर्ता द्वारा पत्र प्राप्ति के सात दिवस में प्रति हस्ताक्षर करके लौटाना होगा। साथ ही शेष सिक्युरिटी राशि जमा करानी होगी।
35. शर्त सं. 10 में बताये अनुसार समस्त औपचारिकतायें पूर्ण नहीं करने पर यह समझा जायेगा कि सफल निविदाकर्ता आपूर्ति करने / कार्य करने को इच्छुक नहीं है। अतः अमानत राशि बिना किसी सूचना के जब्त कर ली जावेगी।
36. असफल ठेकेदार की अर्नेस्ट मनी मूल जमा रसीद इस कार्यालय को प्रस्तुत करने पर तीन माह में चैक द्वारा लौटा दी जावेगी।
37. द्वितीय व तृतीय सफल निविदाकर्ता की अमानत राशि अनुमोदन की तिथि से तीन माह तक रोकी जा सकती है।
38. टेण्डर की शर्त / शर्ते पूरी नही करने पर या अनुबध तोड़ने पर अमानत राशि या सिक्युरिटी राशि जब्त कर ली जावेगी।
39. निविदा की अवधि दो वर्ष के लिये होगी, जो कि कार्य आदेश की तिथि से प्रभावी मानी जावेगी। कार्य संतोष प्रद होने पर तथा आवश्यकतानुसार इसे आपसी सहमति से एक वर्ष के लिए बढ़ायी भी जा सकता है।
40. टेण्डर स्वीकृत किये जाने के पश्चात दरों में परिवर्तन नही किया जावेगा। दरें निविदा अवधि केलिये मान्य रहेगी।
41. निविदादाता को अग्रिम राशि संघ खाते में जमा करवाकर दुग्ध व दुग्ध उत्पाद दिया जायेगा।

42. निविदाकर्ता को अपनी और से कोई शर्त देने का अधिकार नहीं होगा। सशर्त टेण्डर स्वीकार नहीं किये जावेंगे। पृथक से कोई शर्त निविदाकर्ता द्वारा दी जाती है ऐसी शर्त स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। ,
43. प्रबन्ध संचालक, सीकर एवं झुन्झुनू जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 पलसाना, जिला सीकर को प्राप्त निविदाओं को बिना कारण बताये स्वीकर/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।
44. सफल निविदाकर्ता को संघ का नौमिलन सदस्य बनना होगा, अतः 100/–रू शुल्क जमा कराना होगा।
45. निविदादाता, सम्बन्धित दुग्ध संघ/समिति/प्रस्तावित समिति का कोई पदाधिकारी/कर्मचारी नहीं होना चाहिए व घोषित अपराधी एवं किसी भी संस्था/संघ से ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिये अन्यथा उसकी निविदा निरस्त कर दी जावेगी। (100/– शपथ पत्र प्रपत्र के साथ जमा करवाना आवश्यक है।)
46. यदि निविदादाताओं की दरे समान आती हैं तो उनसे पुनः सीलबन्द लिफाफे में दरें ली जायेगी।
47. उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त जहॉ आवश्यक हो सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियमों के नियम लागू होंगे। इसके साथ ही राज्य में दिनांक 26 जनवरी 2013 से राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम–2012 व नियम–2013 प्रभावशील है। जो उक्त बीड पर प्रभावशाली होंगे।
48. निविदा मे किसी भी शर्त को परिवर्तन करने/संशोधन करने हटाने/जोड़ने का अधिकार संघ प्रशासन/प्रबन्ध संचालक को होगा।
49. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रबन्ध संचालक, सीकर एवं झुन्झुनू जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 पलसाना, जिला सीकर को पंच निर्णय/सहकारिता अधिनियम के अन्तगर्त पंच निर्णय की कार्यवाही करने का अधिकार होगा।
50. निविदा शर्तो मे कोई भी अतिरिक्त शर्त जोड़ने का अधिकार ठेकेदार को नही होगा।
51. ठेका समाप्ति के 3 माह के अन्दर संघ द्वारा निर्धारित प्रारूप में बकाया नहीं प्रमाण पत्र,सम्बन्धित अधिकारी के प्रमाणन के बाद प्रस्तुत करने पर सिक्युरिटी राशि वापिस लौटा दी जावेगी। निविदा शर्त/अनुबंध शर्त का उल्लंघन करने पर सिक्योरिटी राशि/अर्नेस्ट मनी की राशि संघ द्वारा जब्त की जा सकती हैं।
52. सम्पूर्ण पार्लर परिसर के रखरखाव व सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदा कर्ता की होगी।
53. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र सीकर शहर में होगा।

उपरोक्त सभी शर्ते क्रम संख्या 01 से 53 तक मेने ध्यानपूर्वक पढ़ ली एवं समझ ली है जो मुझे स्वीकार है।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

सीकर एवं झुन्झुनू जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0,
नेशनल हाइवे न. 11, जयपुर रोड़, पलसाना – जिला सीकर (राज.)

(वितिय–भाग ब)

निविदादाता द्वारा भरी जाने वाली सूचना, विवरण व दी गई दरें :–

1. निविदादाता व्यक्ति/फर्म का नाम : ....

2. मालिक/साझेदार का नाम : ....

3. पता मय टेलीफोन नम्बर : ....
....
....

4. पेनकार्ड नम्बर : ....

5. पार्लर संचालन किराया प्रति माह : शब्दों में...

अंकों में...

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर